

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या:- 12/अ0प्र0-33-01/2023 436/पटना, दिनांक 5-8-25

वित्त विभाग का अधिसूचना संख्या-1407 दिनांक-22.02.2018 के आलोक में विभाग स्तर पर स्थानीय बाजार एवं GeM Portal से क्रय की जाने वाले सामग्री एवं सेवाओं की गुणवत्ता एवं विशिष्टता का मानक तय करने हेतु पूर्व में एतद् विषयक निर्गत आदेशों को निरस्त करते हुये विभागीय क्रय समिति का पुनर्गठन निम्नरूपेण किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम	अध्यक्ष/सदस्य
1	श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव	अध्यक्ष
2	श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार	सदस्य
3	श्री आदित्य प्रकाश, अवर सचिव	सदस्य
4	श्री पवन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, (लेखा)	सदस्य

2. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

01/8/25
(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')

सरकार के अवर सचिव

/पटना, दिनांक- 5-8-25

ज्ञापांक:-12/अ0प्र0-33-01/2023 8511

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आशुलिपिक/विशेष सचिव के आशुलिपिक/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के निजी सहायक/सभी मुख्य अभियंता/सभी संयुक्त सचिव/प्रशासनिक पदाधिकारी ब्राडा/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

01/8/25
(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')

सरकार के अवर सचिव

/पटना, दिनांक- 5-8-25

ज्ञापांक:-12/अ0प्र0-33-01/2023 8511

प्रतिलिपि:- श्री कुमार अनिल सिन्हा, संयुक्त सचिव/श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार/श्री आदित्य प्रकाश, अवर सचिव/श्री पवन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, (लेखा)/आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/8/25
(प्रभाष चन्द्र सिंह 'प्रबल')

सरकार के अवर सचिव